कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/संस्कृत/2019–20 दिनांक 29.09.2019 के तहत् श्रीमती श्वेता मंगल, व्याख्याता, संस्कृत शहीद अमित भारद्वाज राउमावि माणक चौक, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि घाट का बाराना, बून्दी किया गया। श्रीमती श्वेता मंगल, द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3827/2019 श्रीमती श्वेता मंगल, बनाम सरकार दायर की गई।

अपील संख्या 3827/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती श्वेता मंगल, को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती श्वेता मंगल, द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वंय के 02 साल का छोटा बच्चा होने तथा पति के प्राईवेट जॉब में होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि वाटर वर्क्स, जयपुर, राउमावि रेनवाल मांझी, जयपुर में करने की संबंधित परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, **परित्यक्ता** एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थीया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होंने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि श्रीमती श्वेता मंगल का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि घाट का बाराना, बून्दी में व्याख्याता के पद पर दिनांक 21.01.2020 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(हिमांशु गुप्ता)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/संस्कृत/अपील सं. 3827/श्वेता मंगल/2019/ दिनांकः– 17.01.2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित व्याख्याता,

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

C-1 Com Case 15